सरोज देवी बनाम H.D.F.C. बैंक लिमिटेड

1661

( संजय वशिष्ठ, जे.)

संजय वशिष्ठ से पहले, जे. सरोज देवी-याचिकाकर्ता

बनाम

2022 का H.D.F.C. बैंक लिमिटेड उत्तरदाता CRM-M No.48119

17 अक्टूबर, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-नियमित जमानत रद्द करना और निचली अदालत के समक्ष निर्धारित तिथि पर पेश न होने के कारण जमानत बांड जब्त करना-घोषित घोषित अपराधी-चुनौती दी गई-अभियुक्त की याचिका कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले में, याचिकाकर्ता समन आदेश जारी करने के बाद निचली अदालत में पेश हुआ और उसके बाद उसे जमानत दे दी गई, संचार की कमी के कारण, याचिकाकर्ता उपस्थिति की सही तारीख को स्वीकार करने में विफल रहा, इसलिए, जमानत रद्द कर दी गई और गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए-माना गया, निस्संदेह, याचिकाकर्ता किसी भी नरमी के लायक नहीं है, लेकिन यह उद्देश्य पूरा नहीं करेगा दोनों पक्षों के लिए, क्योंकि मामला पहले से ही किसी भी कार्यवाही के बिना न्यायालय के समक्ष लंबित है-इस प्रकार, न्यायालय का सर्वोपरि विचार प्रत्येक तिथि पर अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है ताकि मुकदमा जल्द से जल्द पूरा हो-अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का एक अवसर और उसकी उपस्थिति पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाए-याचिका की अनुमति है। अभिनिर्धारित किया गया कि निस्संदेह, याचिकाकर्ता किसी भी नरमी के योग्य नहीं है, लेकिन यह किसी भी पक्ष के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा क्योंकि मामला पहले से ही बिना किसी कार्यवाही के न्यायालय के समक्ष लंबित है। अन्यथा भी, न्यायालय का सर्वोपरि विचार प्रत्येक तिथि पर अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, ताकि मुकदमा जल्द से जल्द पूरा हो सके। (पैरा 10) आगू अभिनिर्धारित कयल गेल जे उपरोक्त चर्चा कयल गेल परिस्थितिकेँ ध्यानमे राखिकऽ हमर ई सुविचारित राय अछि जे किछु लागतक भुगतानक अधीन, याचिकाकर्ता केँ न्यायालयक समक्ष उपस्थित होयबाक लेल एकटा अवसर देल जा सकैत अछि आ ओकर उपस्थितिक बाद ओकरा जमानत पर सेहो रिहा कयल जा सकैत अछि।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज पुंडिर। विकास भारद्वाज, एएजी, हरियाणा।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1662

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामले में, याचिकाकर्ता समन आदेश जारी करने के बाद निचली अदालत में पेश हुआ और उसे जमानत दे दी गई। इसके बाद, संचार की कमी के कारण, याचिकाकर्ता उपस्थिति की सही तारीख को स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए, उसकी जमानत दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से रद्द कर दी गई और परिणामस्वरूप, गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। (5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता एक घरेलू महिला है और अदालत की कार्यवाही से अच्छी तरह से परिचित नहीं है। इस तथ्य के बारे में जानने के बाद कि उसकी जमानत रद्द कर दी गई है और घोषित व्यक्ति का आदेश पारित कर दिया गया है, बिना किसी देरी के, याचिकाकर्ता ने अदालत की कार्यवाही में फिर से शामिल होने का अवसर देने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वकील आगे प्रार्थना करता है कि यदि उपस्थिति के लिए एक मौका दिया जाता है, तो लागत के भुगतान के अधीन, याचिकाकर्ता विद्वत निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही में शामिल होने के लिए तैयार है।

(6) प्रतिवादी संख्या 2 (हरियाणा राज्य) के लिए प्रस्ताव की सूचना,

केवल। (7) न्यायालय से पूछने पर, श्री. विकास भारद्वाज, ए. ए. जी., हरियाणा, जो अदालत में मौजूद हैं, प्रतिवादी-राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। वह याचिकाकर्ता के अनुरोध का विरोध करते हुए कहता है कि जमानत प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने दी गई रियायत का दुरुपयोग किया है और उसके आचरण के कारण अदालत की कार्यवाही भी बाधित हुई थी। इसलिए, उसे और मौका देकर कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए।

(8) चूंकि यह गिरफ्तारी वारंट जारी करने का मामला है, इसलिए यह सरोज देवी बनाम H.D.F.C. बैंक लिमिटेड

1663

( संजय वशिष्ठ, जे.)

(14) हालाँकि, यह आदेश लागत के रूप में Rs.10,000/- की राशि के भुगतान के अधीन होगा, जिसे सदस्य सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, यमुना नगर के पास जमा किया जाएगा। (15) यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार जब याचिकाकर्ता यहां ऊपर दी गई विस्तृत शर्तों का पालन करता है, तो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगाधरी द्वारा पारित दिनांक 25.04.2022 (अनुलग्नक पी-3) का विवादित आदेश निष्क्रिय याचिकाकर्ता बन जाएगा।

(16) निकाल दिया गया।

ऋतंभरा ऋषि